परिपत्र क्र०-8

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त,
प्रथम तल, सी.सी. बिल्डिंग
माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर भोपाल
दूरभाष 0755–2559537,2559346,2559347फैक्स 2550972,2559345
ई–मेल prirevcom@mp.gov.in,prcbhopal@gmail.com

कमांक/F3-11 /ग्रा.भू.प्र./प्र.रा.आ./2012 /1620 भोपाल, दिनांक ~~मई 2012~~ 2-6-2012

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषयः विभिन्न विभागों को आवंटित/भू–अर्जन से प्राप्त भूमि की खसरा में प्रविष्टि।

विभिन्न शासकीय विभागों को राज्य शासन, आयुक्त/कलेक्टर, द्वारा शासकीय प्रयोजन हेतु जो भूमियां आवंटित की जाती हैं, जिसकी प्रविष्टि राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरे के कालम नम्बर 3 में कर दी जाती है, जबकि कालम नं.3 में मूल प्रविष्टी ही रहती है जैसे चरनोई, नाला, रास्ता, घास बीड़ आदि एवं उसमें मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग/नजूल जो भी स्थिति हो दर्ज की जाती है, क्योंकि राज्य शासन की ओर से भूमि का प्रबंधन राजस्व विभाग द्वारा देखा जाता है। अतः राज्य शासन की ओर से शासकीय भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग धारण करता है। अतः जिस किसी विभाग को या अर्द्ध शासकीय संस्था को भूमि आवंटित की गई है, उसकी प्रविष्टियां खसरे के कालम नं. 4 में की जावें।

2. विभिन्न विभाग भू–अर्जन के माध्यम से भी भूमि प्राप्त करते हैं, ऐसी अधिग्रहित कर उपलब्ध कराई गई भूमियों की प्रविष्टियां "मध्य प्रदेश शासन" के साथ उक्त विभाग का नाम, खसरे के कालम क्रमांक 3 में आना चाहिए जिस विभाग के लिये भूमि अधिग्रहित हुई है, यहाँ पर यदि भूमि अधिग्रहण सिंचाई विभाग या उधोग विभाग या किसी अन्य विभाग ने किया है तब कालम नं. 3 में "मध्य प्रदेश शासन .... विभाग" दर्ज होगा।

3. जहां भूमि अधिग्रहण किसी विभाग द्वारा करने के बाद उस विभाग ने अपनी किसी संस्था को भूमि दी है तब उक्त संस्था का नाम कालम कमांक 4 में आयेगा जैसे उच्च शिक्षा विभाग या तकनीकी शिक्षा ने किसी महाविधालय को भूमि दी एवं यदि उद्योग विभाग ने ए.के. वी.एन को दी तो उसका इन्द्राज उस विभाग के आदेश पर कालम क्र. 4 में आयेगा।

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

4. जहां पर मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग ने किसी अन्य विभाग कों भूमि दी एवं कालम नं. 4 में उसका नाम आया तब यदि उक्त विभाग किसी संस्था को आवंटित करता है, तब ऐसी संस्था का नाम कालम नं 12 में जायेगा ।

कृपया इस पत्र की प्रति सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को भेजकर उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये तथा इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाये।

(हीरालाल त्रिवेदी)
प्रमुख राजस्व आयुक्त
मध्य प्रदेश
फोन नं.0755—2559537

पृ. कमांक/ F 3—11 /ग्रा.भू.प्र./प्र.रा.आ./2012/1621 भोपाल, दिनांक ~~मई—2012~~ 2.6.2012

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव /सचिव म.प्र.. शासन राजस्व विभाग ।
2. आयुक्त भू—अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. की ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

प्रमुख राजस्व आयुक्त
मध्य प्रदेश